न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 120/2013

वादी :—

01. सुगन कंवर पुत्री जोरसिंह जाति राजपूत, पत्नी उदयसिंह जाति राजपूत निवासी— पांचवा कला, हाल झूपेलाव, तहसील— सोजत, जिला— पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

01. वनेसिंह पुत्र जोरसिंह
02. गंगासिंह पुत्र जोरसिंह जातिगण राजपूत, निवासीयान— पांचवा कला, तहसील— सोजत, जिला— पाली
03. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(ए), 53 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः—

1. श्री जीवराज सिंह लखावत और धर्मीचंद देवासीअधिवक्ता वादीगण

2. श्री महेन्द्र कुमार औझा अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 13/12/22

अधिवक्ता मय वादीया ने उपस्थित होकर यह राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 92(ए), 53 आर.टी. एक्ट 1955 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी के पिता जोरसिह ने आज से करीबन 40 वष्र पूर्व अपनी स्वयं अर्जित कमाई से सरहद मौजा ग्राम पांचवा कला में करीबन 42 बीघा कृषि भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। उसके बाद वादीनी के पिता जोरसिंह का देहान्त हो गया। वादीनी के पिता जोरसिंह के पुत्र वनेसिंह, गंगासिंह, भंवरसिंह(फौत) तथा पुत्रियां सुगन कवंर व पत्नी केसर कंवर(फौत) है। स्व. जोरसिंह ने जो कृषि भूमि खरीद की थी उसी समय यह सम्पूर्ण भुमि खसरा नम्बर 781 रकबा 4.65 हैक्टर अपने तीनों पुत्रों के नाम शुरू से ही करवाई थी। अपनी पुत्री सुगन कंवर व अपनी पत्नी केसर कंवर के नाम दर्ज नहीं करवाई थी। इसलिए शुरू से ही राजस्व रेकार्ड में इन लोगों का नाम ही चला रहा तथा इसके पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2050 से संवत 2053 में प्रतिवादी वनेसिंह एवं केवर कंवर के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा भीकसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने दोनो भाई गंगासिंह एवं वनेसिंह के नाम हकतर्क कर दिया तथा भीकसिंह उर्फ भवरसिंह के स्थान पर सम्पूर्ण हिस्सा जरिए म्यूटेशन संख्या 601 दिनांक 29.06.2012 को गंगासिंह व वनेसिंह के दर्ज हो गया। इससे पूर्व वादीनी की माता का भी सन् 1995 में मृत्यु हो गई तथा उनकी मृत्यु के बाद भी प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर केसर कंवर वादीनी की माता के स्थान पर सभी कानूनी वारिस के म्यूटेशन दर्ज नही करवाया तथा केवल तीनों पुत्रों के नाम म्यूटेशन भरवाया तथा वादीनी का नाम दर्ज नहीं करवाया। जबकि कानून 01/04 हिस्सा की वादीनी भी केसर कंवर की जायन्दा पुत्री होने से तथा हिन्दु उतराधिकारी होने के उसके नाम 01/04 हिस्सा का नामान्तरण भरा जाना कानूनी अनिवार्य था। लेकिन प्रतिवादीगण ने जान—बुझकर वादीनी को नुकसान पहुंचाने के लिए नाम दर्ज नहीं करवाया। वादीनी ने इन लोगों को 01/04 हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने का मौखिक कई बार निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीनी का नाम दर्ज नहीं करवाया तथा वादीनी के पिता द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि को अब अन्य लोगों को बेचान करने पर उतारू है तथा प्रतिवादी गंगासिंह ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अन्य लोगों को बचेान कर दी है ऐसी विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है, जबकि वादीनी के हिस्से की भूमि जो बेचान करने का गंगासिंह को कोई कानूनी अधिकार नहीं है बेचान रजिस्ट्री भी शुरू से शुन्य है। प्रतिवादी गंगासिंह ने जान—बुझकर वादीनी को नुकसान पहुंचाने की नियत से ऐसा नाजायज कृत्य किया है। शुरू से ही उसकी नियत वादीनी को कृषि भूमि देने की नियत नहीं थी जबकि सम्पूर्ण कृषि भमि में 01/04 हिस्सा वादीनी का निहित है तथा 01/04 हिस्से की वादीनी राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारीणी है। वादीनी 01/04 हिस्से की खातेदार

कार घोषित करवाने की अधिकारी है तथा वादीनी 01/04 हिस्से की बाई मिटस एवं डस के बंटवाडा करवाने की अधिकारी है तथा पुश्तैनी कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने तथा ा लागो को बेचान करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारीणी है। तः यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 88, 92(ए) व 53 आर.टी. एक्ट विरूद्ध तिवादीगण के पेश है। बिनाय दावा सन 1995 में वादीनी की माता का देहान्त होने के बाद केसर कंवर के स्थान पर केवल उनके जाइन्दा पुत्रों के नाम ही म्यूटेशन दर्ज करने से तथा वादीनी का नाम दर्ज नहीं करने से तथा प्रतिवादी गंगासिंह द्वारा अन्य लोगों के नाम वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि बेचान करने से तथा वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण को उसके 01/04 हिस्से की कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु दिनांक 15.03.2013 को कहने के बावजूद भी वादीनी के नाम दर्ज नहीं करने से तथा दिनांक 20.03.2013 को प्रतिवादीगण के हिस्से की कृषि भूमि को अन्य लोगों को बचान करने की धमकी देने से तथा बंटवाड़ा करने से मना करने से बतुकाम पांचवा कला तहसील सोजत में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद पेश है। अतः अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पेश कर सरहद मौजा पांचवा कला पटवार हल्का चाडवास खसरा नम्बर 781 रकबा 4.65 हैक्टर की 01/04 हिस्से की वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने तथा राजस्व रेकार्ड में 01/04 हिस्सा वादीनी के नाम दर्ज किए जाने तथा खसरा नम्बर 781 रकबा 4.65 हैक्टर का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवाया जाकर 01/04 हिस्सा वादीनी का मौके पर अलग कर दिलवाए जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा के जरिए प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी की खरीदसुदा एवं कब्जासुदा है। वंशावली गलत बताई गई है। भंवरसिंह के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है उनके वारिसों के नाम वंशावली में दर्ज नहीं बताए है। वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी के स्वयं की रकम से खरीद की गई थी, जिसमें जोरसिंह की रकम नहीं लगी थी व जमीन प्रतिवादी द्वारा खरीदसुदा है व खातेदारी खरीद के आधाार पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज है व भंवरसिंह के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि उनको खातेदार होने स्वीकार किया है। सुगनकंवर व केसरकंवर का नाम दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थीं क्योंकि उनकी कोई रकम नहीं लगी थी, न ही पैतृक सम्पति थी व भवरसिंह ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी से रकम प्राप्त कर हकतर्कनामा कर दिया जो कानूनन सही है। केसरकंवर का नाम खातेदारी में दर्ज था ही नहीं व वादी की शादी हुए 40 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इसलिए फौतगी म्यूटेशन जोरसिंह का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि जमीन जोरसिंह के नाम की नहीं थी। जबकि जोरसिह की खातेदारी होती व जोरसिह की मृत्यु के बाद फौतगी म्यूटेशन भरा जाता तो वादीया को ऐतराज करने का अधिकार था परन्तु वादीया को ऐसा ऐतराज करने का अधिकार भी इसलिए समाप्त हो गया था कि उसकी शादी हो चुकी थी व जोरसिंह के सम्पति जोरसिह की खरीदसुदा नहीं है व वादग्रस्त भूमि में वादीया का 01/04 हिस्सा नहीं बनता है। वादीया वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिनी नहीं है व वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी को बेचने का हक व अधिकार है व प्रतिवादी ने अपनी हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि गजेसिहं वगैराह को बेच चुके है जिसका बेचाणनामा नियमानुसार निष्पादित किया गया है। इसलिए वादीया इस मुकदमें में कोई अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व स्वयं प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति है जिसमें वादीया का कोई हक अधिकार नहीं है व स्वयं प्रतिवादी द्वारा जमीन बेचाण जाना वादी कथन करता है तो वादीया को बेचाण निरस्त करने का दावा करना चाहिए था। उपरोक्त दावा करने का वादीया का कोई हक अधिकार नहीं है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि का बेचाणनामा हो चुका है जिसकी जानकारी स्वयं वादीया द्वारा होना स्वीकार है। ऐसी सूरत में उपरोक्त दावा बेचाण निरस्त के संबंध में यहां नहीं चल सकता है। वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा निहित नहीं है, न ही कभी कोई कब्जाकाश्त वादी का रहा है, न ही वादीनी कोई

हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिनी है, न ही बंटवाड़ा कराने की अधिकारिनी है। प्रतिवादी के खिलाफ कोई बिनाए दावा पैदा नहीं होता है व स्वयं वादी द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी गंगासिंह द्वारा भूमि का बेचाण किया जा चुका है। ऐसी सूरत में उपरोक्त दावा चलने योग नहीं है व स्वयं वादी के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि बेचाण करना बताया है व बेचाण करने की धमकी देना बताया है जो अपने आम में विरोधाभाषी है व 1995 में बिनाय दावा पैदा होना बताया है जिसका म्याद बाहर स्वतः ही हो गया है।

उभय पक्षों के लिखित अभिकथन के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई–

01. आया वादस्थ भूमि मौजा पांचवा कला के खसरा नम्बर 781 रकबा 4.65 हैक्टरद की भूमि मेंवादीया अपना 01/04 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने की अधिकारी है।

वादीया

02. वादीया वादस्थ भूमि में अपने 01/04 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के जरिए विभाजन कराने की अधिकारी है।

वादीया

03. वादस्थ भूमि के बेचान हस्तान्तरण से रोकने हेतु वादीया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

वादीया

04. दावा म्याद बहार होने से खारिज योग्य है।

प्रतिवादीगण

अनुतोष–

दिनांक 15.12.2015 से वादीगण को शहादत वादी पेश करने के लगातार अवसर दिए जाने के बावजूद भी पेश नहीं करने से दिनांक 17.08.2022 को शहादत वादी बंद की गई। दिनांक 17.08.2022 से आज दिनांक तक अधिवक्ता प्रतिवादी शहादत प्रतिवादी पेश करने में विफल रहे। लिहाजा शहादत प्रतिवादी का अवसर समाप्त किया जाकर शहादत प्रतिवादी बंद की जाती है।

बहस अधिवक्ता वादी सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादीनी के पिता जोरसिंह का देहान्त हो गया। वादीनी के पिता जोरसिंह के पुत्र वनेसिंह, गंगासिंह, भंवरसिंह(फौत) तथा पुत्रियां सुगन कवंर व पत्नी केसर कंवर(फौत) है। स्व. जोरसिंह ने जो कृषि भूमि खरीद की थी उसी समय यह सम्पूर्ण भुमि खसरा नम्बर 781 रकबा 4.65 हैक्टर अपने तीनों पुत्रों के नाम शुरू से ही करवाई थी। अपनी पुत्री सुगन कंवर व अपनी पत्नी केसर कंवर के नाम दर्ज नहीं करवाई थी। इसलिए शुरू से ही राजस्व रेकार्ड में इन लोगों का नाम ही चला रहा तथा इसके पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2050 से संवत 2053 में प्रतिवादी वनेसिंह एवं केवर कंवर के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा भीकसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने दोनो भाई गंगासिंह एवं वनेसिंह के नाम हकतर्क कर दिया तथा भीकसिंह उर्फ भवरसिंह के स्थान पर सम्पूर्ण हिस्सा जरिए म्यूटेशन संख्या 601 दिनांक 29.06.2012 को गंगासिंह व वनेसिंह के दर्ज हो गया। इससे पूर्व वादीनी की माता का भी सन् 1995 में मृत्यु हो गई तथा उनकी मृत्यु के बाद भी प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर केसर कंवर वादीनी की माता के स्थान पर सभी कानूनी वारिस के म्यूटेशन दर्ज नही करवाया तथा केवल तीनों पुत्रों के नाम म्यूटेशन भरवाया तथा वादीनी का नाम दर्ज नहीं करवाया। जिसे दुरूस्त कर वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत जबाब बहस मे दस्तावेजी साक्ष्य से वाद साबित करने का भार वादी का होना व्यक्त किया है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचना अनुसार अधिवक्ता मय वादीगण का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भंण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/2... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत